British Bilateral AID

748. SHRI R. R. MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the British Government have promised increased bilateral aid in 1982-83 and 1983-84;

(b) if so, whether the exact quantum has been finalised for these years; and

(c) which are the projects which are to be benefited by this aid?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): (a) During the recent visit of the Prime Minister to UK there was an encouraging response from the UK Government in regard to increase in bilateral aid over the current level.

(b) The quantum of aid for 1982-83 will be indicated by the UK at the forthcoming Aid Consortium meeting in June, 1982.

(c) The projects which are likely to be benefited from UK aid are fertilizer plants at Thal and Hazira, Coal Mining Projects, refinancing programme of Agricultural Refinance & Development Corporation, Housing Programme of Housing and Urban Development Corporation of India (HUDCO) and certain new-projects which are under consideration.

Fake and forge bearer bonds

749. SHRI J. K. JAIN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it has come to the notice of the Government that some fake and forged bearer bonds are in circulation in the country;

(b) whether any persons were apprehended or prosecuted for involvement in such cases;

(c) if so, what are the details thereof;

(d) what further steps have been taken to check such practices; and

(e) if the answer to parts (a), (b) and (c) above be in the negative, what steps Government have taken to prevent the possibility of printing and circulation of fake and forged bearer bonds?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise

(d) and (e) The Special Bearer Bonds were printed on water marked security paper manufactured by the Government Security Paper Mill and, except for fugitive ink for preparing the tint, departmentally produced quality inks were used in their printing. As such it would not be difficult to distinguish between genuine and fake bonds.

The law provides for deterrent punishment for offences relating to counterfeiting and constant vigilance is also kept by the authorities to apprehend the culprits engaged in such activities.

बैंक आफ बड़ौदा, वाराणसी द्वारा ऋणों का भुगतान न किया जाने के सम्बंध में शिकायतें

750. श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी में बैंक आफ बड़ौदा की रामकटोरा शाखा के मैनेजर द्वारा छोटे उद्योगपतियों और छोटे व्यापारियों को नाजायज ढंग से परेशान किए जाने और उन्हें ऋण न दिए जाने के संबंध में वाराणसी के व्यापारियों द्वारा 25 जून, 24 अगस्त और 31 अगस्त, 1981 को माननीय

वित्त मंत्री को कुछ शिकायतें भेजी गयी थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) शिकायतों का स्वरूप और ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंक आफ बड़ौदा की वाराणसी स्थित राम कटोरा शाखा के शाखा प्रबन्धक द्वारा कथित रूप से तंग किए जाने की कुछ शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से इनकी जांच की गई थी। जांच से यह पता चला है कि इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। उपमहाप्रबंधक (निरीक्षण) और मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा भी जांच की गई थी और उन्होंने पाया कि ये आरोप झूठे और निराधार थे।

बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 के अनुसरण में और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं के अनुसरण में बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। इसलिए शिकायत का स्वरूप और ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता।

बैंक आफ बड़ौदा, वाराणसी द्वारा स्वीकृत ऋण का न दिया जाना

751. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1982 और 3 फरवरी, 1982 को वाराणसी के दैनिक समाचार पत्र "संमार्ग" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक मामले में बैंक आफ बड़ौदा की वाराणसी शाखा द्वारा एक लाख दस हजार रुपये के स्वीकृत ऋण का भुगतान इसलिए नहीं किया गया था कि उस शाखा के मैनेजर को रिश्वत नहीं दी गई थी ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ; और

(ख) सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 14 जनवरी, 1982 और 3 फरवरी, 1982 को वाराणसी से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र "संमार्ग" में इस आशय की एक समाचार टिप्पणी प्रकाशित हुई थी, कि बैंक आफ बड़ौदा की वाराणसी शाखा द्वारा 1,10,000/- रुपये के एक स्वीकृत ऋण का भुगतान इसलिए नहीं किया गया कि उस शाखा के मैनेजर को रिश्वत नहीं दी गई। बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि बैंक द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय से भेजे गए दो अधिकारियों तथा बैंक के केन्द्रीय जांच विभाग से भेजे गए एक अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच करायी गयी है। उप-महाप्रबन्धक (निरीक्षण) तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी और मुख्य प्रबन्धक (सतर्कता) ने भी इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच की। निरीक्षकों को इस शिकायत में कोई तथ्य नहीं मिला। बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के अनुसार बैंकों के ग्राहकों के अलग-अलग खातों के ब्यौरों को प्रकट नहीं किया जा सकता।